कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 331/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 22.08.2026

थाना- बरदह, जनपद- आजमगढ़

☐ चोरी करते पकड़े जाने पर महिला की गला रेतकर हत्या करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

☐ अकेलेपन का फायदा उठाकर चोरी की नीयत से घर में घुसी अभियुक्ता, महिला के देख लेने पर चाकू से गला रेतकर की हत्या

☐ विरोध करने पर हुई हाथापाई के बाद महिला के बेहोश होने पर पकड़े जाने के डर से अभियुक्ता ने दिया जघन्य वारदात को अंजाम

पूर्व की घटना/इतिहास-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.08.2026 को वादी मुकदमा मुस्तफा पुत्र स्व0 मुख्तार निवासी ग्राम व पोस्ट करिया गोपालपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री अकबरी की शादी ग्राम बरदह में हुई थी तथा उसके चार बच्चे हैं। अकबरी अपने दो बच्चों के साथ ग्राम बरदह स्थित घर पर रहती थी, जबकि उसके पति ताहिर एवं बड़ा पुत्र समीर मुम्बई में रहते हैं। दिनांक 20.08.2026 को लगभग 02:00 बजे पड़ोसी द्वारा सूचना दी गई कि अकबरी की मृत्यु हो गई है। सूचना पर वादी मौके पर पहुंचे, जहां अकबरी मृत अवस्था में मिली। प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर गला रेतकर उसकी हत्या किया जाना प्रकाश में आया। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 289/2026 धारा 103(1)/333 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरण/गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था तथा घटना का यथाशीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी बरदह को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 22.08.2026 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित संदिग्ध अभियुक्ता निवासी ग्राम बरदह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है तथा उसका मृतका अकबरी के घर लगातार आना-जाना था। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता को उसके घर से पूछताछ हेतु थाना लाया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्ता के बयानों में विरोधाभास एवं संदिग्ध व्यवहार पाए जाने पर गहनता से पूछताछ की गई।

पूछताछ में अभियुक्ता द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसका अकबरी के घर आना-जाना था। अकबरी के पति एवं पुत्र बाहर रहते थे तथा अन्य दो बच्चे स्कूल चले जाते थे, जिसके कारण अकबरी कई बार घर पर अकेली रहती थी। अभियुक्ता को जानकारी थी कि अकबरी अपना पैसा बेड के नीचे रखती है। पैसों के लालच में अभियुक्ता दिनांक 20.08.2026 को अकबरी के घर पहुंची और उसके कमरे से रुपये चोरी करने लगी। इसी दौरान अकबरी छत से कमरे में आ गई और अभियुक्ता को चोरी करते देख लिया। विरोध करने पर दोनों के बीच हाथापाई हुई तथा बाल खींचने के दौरान अकबरी चारपाई के पाये पर गिरकर बेहोश हो गई। अभियुक्ता ने डर के कारण किचन में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से अकबरी का गला रेत दिया और मौके से निकलकर अपने घर चली गई। अभियुक्ता द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू को अपने घर के पास करकट में छिपाना बताया गया।

अभियुक्ता की निशानदेही पर उसके घर से **01 घटना में प्रयुक्त चाकू** बरामद किया गया। अभियुक्ता पुत्री जय प्रकाश गोंड निवासी ग्राम बरदह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को धारा 103(1)/333 बीएनएस का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक 22.08.2026 को समय करीब 07:15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

अपराध का तरीका

दिनांक **20.08.2026** को अभियुक्ता मृतका अकबरी के घर उसके अकेले होने का फायदा उठाकर **चोरी की नीयत से** पहुंची। अभियुक्ता को मृतका के घर आने-जाने के कारण घर में रुपये रखे होने की जानकारी थी। अभियुक्ता कमरे में रखे रुपये चोरी कर रही थी, तभी अकबरी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। विरोध करने पर दोनों के बीच हाथापाई हुई और बाल खींचने के दौरान अकबरी चारपाई के पाये से टकराकर बेहोश हो गई। पकड़े जाने के डर से अभियुक्ता ने किचन में रखे **सब्जी काटने वाले चाकू से अकबरी का गला रेतकर हत्या** कर दी तथा घटना में प्रयुक्त चाकू को अपने घर के पास करकट में छिपा दिया। दिनांक **22.08.2026** को अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त उक्त चाकू बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 289/2026 धारा 103(1)/333 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्ता निवासी ग्राम बरदह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 चाकू (घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. SO चन्द्रदीप कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 कमलेश प्रसाद, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. रि0आ0 वेद व्यास तिवारी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
4. रि0म0आ0 अंकिता सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
5. रि0म0आ0 बीनू सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।